सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

निदेशक, शोध एवं प्रसार निदेशालय, प्रशासनिक भवन, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

www.ssju.ac.in **Email- researchdirectorssju@gmail.com**

पत्रांकः **SSJU/नि0शो0/2023-24/387(A)** दिनांकः 24–06–2024

सेवा में,

1. समस्त परिसर निदेशक,
   सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
2. समस्त प्राचार्य, संबंद्ध स्नातक/स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा।

महोदय,

दिनांकः 18.06.2024 को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो0 सतपाल सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में शोध सलाहकार समिति (RAC) की बैठक प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में शोध एवं प्रसार निदेशालय से संबद्ध एवं विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

धन्यवाद

25/06/24

निदेशक
शोध एवं प्रसार निदेशालय
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. प्रो0 जे0एस0 रावत (सदस्य) (अवकाश प्राप्त प्राध्यापक) सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
2. प्रो0 एस0के0 जोशी, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
3. प्रो0 एम0एम0 जिन्नाह, वाणिज्य विभाग (अवकाश प्राप्त प्राध्यापक) सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
4. प्रो0 मधुलता नयाल, मनोविज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
5. प्रो0 एल0एस0 लोधियाल, वन विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, डी0एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
6. प्रो0 एच0सी0 बिष्ट, जंतु विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
7. डॉ0 संगीता पवार (शिक्षा संकाय) सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
8. प्रो0 जे0एस0 बिष्ट, विधि संकाय, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
9. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति को सूचनार्थ।
10. कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

निदेशक

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

निदेशक, शोध एवं प्रसार निदेशालय, प्रशासनिक भवन, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

www.ssju.ac.in **Email- researchdirectorssju@gmail.com**

पत्रांकः **SSJU/नि0शो0/2023-24/** 387 दिनांकः 24 –06–2024

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांकः18–06–2024 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में शोध एवं सलाहाकार समिति की बैठक हुई जिसमें अग्रांकित सदस्यों ने प्रतिभाग कियाः–

1. प्रो0 एच0सी0एस0बिष्ट (बाह्य सदस्य)
2. प्रो0 जे0 एस0 रावत (बाह्य सदस्य)
3. प्रो0 एम0 एम0 जिन्नाह (बाह्य सदस्य)
4. प्रो0 एल0 एस0 लोधियाल(बाह्य सदस्य)
5. प्रो0 एस0 के0 जोशी (संकायाध्यक्ष, विज्ञान)
6. प्रो0 ए0एस0अधिकारी (आमंत्रित सदस्य)
7. डॉ0 संगीता पवार (संकाय प्रतिनिधि, शिक्षा संकाय)
8. प्रो0 जे0एस0बिष्ट (संकायाध्यक्ष, विधि संकाय)

बैठक में सर्वसम्मति से अग्रांकित निर्णय लिए गएः–

1. मद संख्या–01 के अंतर्गत सर्वसम्मति से शोध एवं प्रसार निदेशालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित 'शोध अध्यादेश' को विश्वविद्यालय की आगामी अकादेमिक काउन्सिल और एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
2. शोध निर्देशक की अर्हता संबंधी बिंदु पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि विद्यार्थी को स्नातक महाविद्यालय के शोध निर्देशक आमंत्रित हुए हैं तो ऐसी दशा में स्नातक महाविद्यालय में संबंधित विषय का शोध निर्देशक होगा। साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर/ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापक को सह शोध निर्देशक बनाया जाना आवश्यक होगा।
3. अंतरविषयी शोध के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी को केवल यू0जी0सी0 के द्वारा निर्धारित पीएच0डी0 की अर्हता के अधीन ही अंतरविषयी शोध के अनुमति दी जाए, अर्थात् वह जिस विषय में अंतरविषयी शोध करना चाहता है उस विषय में उसे स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किए बिना न तो किसी विषय में प्री0पीएच0डी0 कोर्सवर्क के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही उस विषय में पीएच0डी0 की उपाधि प्रदान की जाएगी।

4. विश्वविद्यालय में शोधरत नेट/जे0आरएफ0/एनएफओबीसी/एनएफएससी/सावित्री बाई ज्योतिबा फुले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड/सीएसआईआर की शोध अध्येता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की निरंतरता को अद्यतन तभी किया जाएगा जब शोधछात्र त्रैमासिक शोध प्रगति आख्या अपने शोध निर्देशक से प्रतिहस्ताक्षरित करके शोध निदेशालय को उपलब्ध कराएगा।
5. मद संख्या–05 में विभागाध्यक्ष तीन माह की उपस्थिति से संबंधित आंकड़े, शोध कार्य की अद्यतन रिपोर्ट एवं शोध छात्र के द्वारा तीन माह के उपरांत दिए गए प्रस्तुतीकरण की प्रति को विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार निदेशालय में आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसरों/महाविद्यालयों में कार्यरत स्थायी/अतिथि व्याख्याता शिक्षक शोधार्थी इससे मुक्त रहेंगे।
6. मद संख्या–06 के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूजीसी द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति प्राप्त शोधार्थी प्रत्येक तीन माह में तथा अन्य शोधार्थी 06 माह में अपने शोध कार्य की प्रगति आख्या को शोध एवं प्रसार निदेशालय में जमा कराऐंगे। इसके लिए यह निर्णय लिया गया प्रति छमाही प्रत्येक विभाग में शोधार्थियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और उस सेमिनार में शोधार्थी अपने शोधकार्य से संबंधित प्रगति के साथ–साथ एक शोधपत्र प्रस्तुत करेगा।
7. शोध से संबंधित शुल्कआदि से संबंधित विषय को आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में शोध से संबंधित शुल्क पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।
8. मद संख्या–08 के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्री0पीएच0डी0 कोर्सरत् विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्नपत्र की उपस्थिति कोर्स कॉर्डिनेटर और द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र की उपस्थिति विभागाध्यक्ष/शोध निर्देशक सुनिश्चित करेंगे। यू0जी0सी0 के नियमानुसार प्री0पीएच0डी0 कोर्सरत् की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
9. मद संख्या–09 के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यू0जीसी0के नियमों के अंतर्गत ही प्राध्यापकों को शोधार्थी आवंटित किए जाएंगे। ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने 62 वर्ष पूर्ण कर लिए हों उन्हें किसी भी दशा में शोध छात्र आवंटित नहीं किया जाएगा।
10. मद संख्या–09 के अंतर्गत शोध में गुणवत्ता लाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शोधकार्य करने वाले प्राध्यापक एवं शोधार्थियों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाएगा।

11. मद संख्या–11 के अंतर्गत शोध संबंधी गतिविधियों जिसका संचालन वित्त अधिकारी क द्वारा किया जाएगा। सर्वसम्मति से शोध एवं प्रसार निदेशालय का एक पृथक खाता खोलने का निर्णय लिया गया।
12. बैठक के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शोध प्रबंध को जमा करते समय शोधक को अपने शोध से संबंधित प्रकाशित दो शोध पत्र एवं दो सेमिनार में भागीदारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
13. मद संख्या–13 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शोध की गतिविधियों को बढाने के लिए देशी/विदेशी उत्कृष्ट संस्थानों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए जाएं।
14. मद संख्या–14 के अंतर्गत शोध प्रबंध को शोधार्थी अपने शोध प्रबंध को यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरूप निर्धारित तिथि तक ही जमा कराएगा। यदि किन्हीं कारणों से शोधार्थी अपने शोध प्रबंध को निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करा पाता है तो उसे समय विस्तार के लिए माननीय कुलपति जी से अनुमति लेनी होगी।
15. माननीय कुलपति जी ने शोध कार्य की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता की दृष्टि से सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में शोधक यथाशीघ्र गूगल स्कॉलर/एकेडेमिया/वेब ऑफ साइंस/ रिसर्चगेट में अपनी आई0डी0 निर्मित करेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष/शोध निर्देशक शोधकों को प्रेरित करेंगे। सूचना को विभागवार सत्यापित कर शोध एवं प्रसार निदेशालय में उपलब्ध कराएंगे।
16. मद संख्या–16 के अंतर्गत डी0एससी एवं डी0लिट् के शोधकों के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इनके प्रवेश पूर्ववत् कु0वि0वि0 की नियमावली के अंतर्गत ही होंगे।

निदेशक
शोध एवं प्रसार निदेशालय
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा